रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2015/चैत्र 17, 1937
No. 209] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2015/CHAITRA 17, 1937

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 261(अ).-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद ज्येष्ठ उर्वरक निरीक्षक, (समूह "ख" पद), भर्ती नियम, 1994, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में समूह "ख" पद ज्येष्ठ उर्वरक निरीक्षक पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद, ज्येष्ठ उर्वरक निरीक्षक (समूह "ख") भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड **वेतन** या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ उर्वरक निरीक्षक	05* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख ', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैन्ड-2, 9300-34800 रुपए ग्रेड वेतन 4200 रू. सहित	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति;** क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन बैन्ड-1, 5200-20200 रुपए, ग्रेड वेतन 2800 रूपये सहित उर्वरक निरीक्षक, जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और उर्वरकों के नमूने लेने या उर्वरकों के विश्लेषण क्षेत्र में 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1** – जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2** – प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति** :- 1. संयुक्त सचिव(समेकित पोषक तत्व प्रबंधन) - अध्यक्ष 2. निदेशक, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान – सदस्य 3. उप सचिव, (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन), कृषि और सहकारिता विभाग – सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति के लिए** :- 1. निदेशक केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान - अध्यक्ष 2. उप सचिव (समेकित पोषक तत्व प्रबंधन), कृषि और सहकारिता विभाग – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी (केंद्रीय उर्वरक कवालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान), फरीदाबाद – सदस्य	(अल्पकालिक संविदा सहित) प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त संगठनों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 2800 रु. सहित में नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष नियमित सेवा की हो ; (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हों:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि रसायन या मृदा विज्ञान या रसायन में एम.एससी.डिग्री **टिप्पण–1**: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण – 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण –3:** प्रतिनियुकृति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण – 4:** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर		

आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

[फा. सं. 5-12/2009-आईएनएम]

भैरव दत, अवर सचिव (आईएनएम)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2015

G.S.R.261(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution and in supersession of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Central Fertilizer Quality Control & Training Institute, Faridabad, Senior Fertilizer Inspector (Group 'B' post) Recruitment Rules, 1994, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' post of Senior. Fertilizer Inspector in the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, namely :—

1. Short title and commencement .-- (1) These rules may be called the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, Senior Fertilizer Inspector (Group 'B') post Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application . – These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale . – The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the any of the posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with order issued by Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay / Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Fertilizer Inspector.	*05(2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service group B Non Gazetted Non Ministerial.	Pay Band-2 Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4200/-.	Selection	Not applicable

Educational and other qualification required for Direct Recruits.	Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two Years for promotes	By Promotion, failing which by deputation including short-term contract

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion Fertilizer Inspectors in the Pay Band-1, Rs.5200-20200 with Grade Pay of Rs.2800/- with six years' regular service in the grade and have successfully completed training of 2 to 4 weeks in the field of drawal of samples of fertilizers and analysis of fertilizers. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility services or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2**: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended	Group 'B' Departmental Promotion Committee: 1. Joint Secretary(Integrated Nutrient Management)- Chairman 2. Director, Central Fertilizer Quality Control and Training Institute- Member 3. Deputy Secretary (Integrated Nutrient Management), Department of Agriculture & Cooperation- Member. Group B Departmental confirmation Committee: 1. Director, Central Fertilizer Quality Control and Training Institute - Chairman 2. Deputy Secretary (Integrated Nutrient Management), Department of Agriculture & Cooperation - Member. 3. Administrative Officer (Central Fertilizer Quality Control and Training Institute) - Member	Consultation with UPSC necessary while appointing an officer on Deputation (including short-term contract).

based on the recommendations of the pay commission. **Deputation** (including short-term contract.): Officers of Central Government or State Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies or Agriculture Universities or Recognised Research Institutions. (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or ii) Six years regular service in the Pay Band-1 - Rs.5200-20200/- with the Grade Pay of Rs.2800/- after appointment thereto ; b) possessing the following educational qualifications:- (i) M.Sc Degree in Agricultural Chemistry or Soil Science or Chemistry From a Recognised University. **Note 1:-**The departmental officers in feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:-**Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note3:-** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of application. **Note 4:-** For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.		

[F.No.5-12/2009-INM]
BHERAV DUTT, Under Secy. (INM)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 262 (अ).-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद (समूह "ग" और "घ" पद), भर्ती नियम, 1977, जिनका संबंध हिंदी अनुवादक और पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीन केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में समूह "ख" पद कनिष्ठ अनुवादक और पुस्तकालय और सूचना सहायक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद, कनिष्ठ अनुवादक और पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड **वेतन** या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताः वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. कनिष्ठ अनुवादक	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख ', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैन्ड-2 9300-34800 रुपए ग्रेड वेतन सहित 4200 रूपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):- (1) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिनके पास शैक्षणिक अर्हताएं है:- **आवश्यक-** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप मे रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से हिंदी या	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रुप में रहा हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हों; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहें हों या इन दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हों; और हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठयक्रम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं, हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का दो वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1** – पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2** - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 –** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी , 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. पुस्तकालय और सूचना सहायक	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख ', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैन्ड-2, 9300-34800 रु ग्रेड वेतन 4200 रूपये सहित	लागू नहीं होता	30 वर्ष से ज्यादा नहीं (भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवक के मामले में 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण:-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
<u>आवश्यक :</u> (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त संगठन या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थाओं के अधीन पुस्तकालय से दो वर्ष का व्यवृतिक अनुभव। **वांछनीय:-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा **टिप्पण 1 –** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 –** अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय हे कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन्न समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) या आमेलन:- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्र/पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी - (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या (ii) वेतन बैन्ड-1, 5200-20200 रुपए, ग्रेड वेतन 2800 रू. सहित उस पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा या समतुल्य; (ख) सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में उल्लिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:- **टिप्पण – 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी	**समूह 'ख'** विभागीय पुष्टि समिति के लिए :- 1. निदेशक केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान,फरीदाबाद – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केंद्रीय उर्वरक क्वालिटी नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद – सदस्य	अधिकारी की प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **टिप्पण 3:-** केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पदधारियों का ही आमेलन के लिए विचार किया जाएगा।		

[फा. सं. 5-12/2009-आईएनएम]

भैरव दत, अवर सचिव (आईएनएम)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2015

G.S.R. 262(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution and in supersession of the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad (Group 'C' and Group 'D' posts), Recruitment Rules, 1977, in so far as they relate to the posts of Hindi Translator and Library and Information Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to Group 'B' posts of Junior Translator and Library and Information Assistant in the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, namely :-

1. Short title and commencement .-- (1) These rules may be called the Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad, Junior Translator and Library and Information Assistant (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application . --These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale .— The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.— the method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.- No person,—

(a) who has entered into or contracted marriage with a person having spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the any of the posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit, and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with order issued by Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classificat `ion	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Junior Translator	1*(2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non Gazetted, Ministerial.	Pay Band-2 Rs.9300-34800/- with Grade Pay of Rs.4200/-.	Not Applicable	Not Applicable

Educational and other qualification required for Direct Recruits	Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not applicable	Not Applicable	By Deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation /absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): 1. Officers under the Central Government or State or Union territory administrations or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or autonomous organizations:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; (b) possessing the educational qualification: Essential: Master's degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. OR Master's degree of a recognised University in English with Hindi as a	Not Applicable	Consultation with UPSC necessary.

compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level. OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level. OR Master's degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of a examination at the degree level; OR Master's Degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; AND Recognised Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking. **Note1**:-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:-**Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The		

maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 3**:- For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Library and Information Assistant	1*(2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 Rs.9300-34800/- with Grade Pay of Rs.4200/-.	Not Applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates in India. (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub

					Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:- i) Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institution. ii) Two years' professional experience in a Library under Central Government or State Governments or Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research or Educational Institution. **Desirable:** Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	Two years.	By deputation (including short-term contract) or absorption failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract) or absorption. Officers under the Central Government or State Government or Union Territories/Public Sector Undertakings or Autonomous Organisations – (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; Or (ii) with six years of regular service in the post in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200/- Grade Pay Rs. 2800/- or equivalent. (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note1**:-The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly,	Group 'B' Departmental confirmation committee:- 1.Director, Central Fertiliser Quality Control & Training Institute, Faridabad - Chairman 2. Joint Director, Central Fertiliser Quality Control and Training Institute, Faridabad - Member. 3. Administrative Officer, Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, Faridabad - Member.	Consultation with UPSC necessary while appointing an officer on deputation or absorption.

deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 2**:- For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation. **Note 3:-** The officials from the Central Government, State Government and Union territory administrations shall only be considered for absorption.		

[F. No. 5-12/2009-INM]
BHERAV DUTT, Under Secy. (INM)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.